साक्ष्य में शपथ-पत्र पर पुनः शपथ ली व पत्रावली के शामिल दस्तावेजों को प्रदर्श 1,2,3,4,5,6 कराये। वकील वादी ने साक्ष्य अब और प्रस्तुत नहीं करना चाहते। पत्रावली वास्ते जिरह प्रतिवादी दिनांक 31/08/2023 को पेश हो। S.D.O.

31/08/2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली मे जिरह हेतु अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह व बहस अन्तिम दिनांक 05/09/2023 को पेश हो। S.D.O.

05/09/2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी जिरह हेतु अनुपस्थित। जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रतिवादी जिरह हेतु उपस्थित नहीं। जिरह बन्द की जाती है। वकील वादी द्वारा बहस सुनाई गयी। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/09/2023 को पेश हो। S.D.O.

12/09/2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वाद-पत्र में अंकित तथ्यो व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया व मनन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वकील वादी द्वारा बहस ... दी गई दलीलों से हम सहमत ...। वादी का वाद-पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी का वाद ... स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:36:16 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

[illegible] : उपखण्ड अधिकारी   मुकाम : रावतभाटा

[illegible] .... बनाम .... भूमिधारी तहसीलदार सा०

वाद .... नं0 .... 20/2021 .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस जारी हुए
वाद-पत्र का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास मे सरेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] की जाकर शामिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:36:16 IST
Reason: SelfAttested